

Topic-Formation of Indian Constituent Assembly Degree-II (Hons.) P-3 Date-22-01-2022

By Rahul Kumar Jha.

संविधान सभा :-

1939 में मिर्ज़ापुरा सिडनी के बाद, संविधान सभा की मांग की 14 सितम्बर, 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा जादी छि गए एक लम्बे वक्तव्य में दोहराया गया।

गांधीजी ने 19 नवंबर, 1939 को 'हरिजन' में 'द ओनली द ओनली ने' धर्मिक के अंतर्गत एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि "संविधान सभा की द्वा की द्वाय प्रहरी का और लोकैच्छा का लक्ष्य अर्थों में तब प्रदी तरह से निरूपण करनेवाला संविधान बना सकती हैं। उन्होंने धोषणा की वि संप्रदायि तथा अन्य समस्याओं के - प्रायःसंगत हल का

रुग्णाज तदीका नी लेक्मिान सजाते हैं।

1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' में ब्रिटिश सरकार ने सेन्टिमानल लजा को भोग की पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, जले ही स्वीकृति अतर्लगा लगा महत्वपूर्ण चर्ते के लाग ची।

क्रिप्स प्रस्तावों के द्वारा 'अगस्त प्रस्ताव' में इल्लेखनीय धुन्धार क्रि गए। इन प्रस्तावों के अनुसार नए सेन्टिमान के निर्माण का नाम अल पूर्णतया न छि 'आधिकारिक रूप से भारतीय हाथों से लेना था और ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट न्यन दिया कि वह प्रस्तावित सेन्टिमान-निर्माण-मिशन द्वारा बनाये गए सेन्टिमान की स्वीकार करेगी। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, मई, 1945 में यूरोप में युद्ध की समाप्ति तब भारत की सेन्टिमानिक सभा के समाधान के क्रि कोई कदम नहीं उठाया गया।

जुलाई, 1945 में, इंग्लैंड में गई और
 सरकार द्वारा में आई। तब 17 दिसम्बर,
 1945 को बादसराय लार्ड वेवेल ने भारत
 के लोगों में सरकार की नीति को
 घोषणा की तथा भगवोद्भूत संविधान निर्माण
 विभाग का जन्म करने के लिए महापक्षिण
 की सरकार के द्वारा की पुष्टि की।

ब्रिटिश विधान ने अनुभव किया कि
 संविधान निर्माण विभाग का जन्म करने की
 सर्वोत्तम संतोषजनक विधि यह होती कि
 उसका जन्म गुरु महापक्षिण के आचार
 पर ध्यान के द्वारा किया जाता, किन्तु
 ऐसा करने पर यह संविधान के निर्माण
 में अन्यायनीय निलंबन हो जाता। इसलिए,
 उनके अनुसार एकमात्र अवहार्य तरीका यही
 था कि हाल में निर्वाचित प्रांतीय विधान
 सभाओं का उपयोग निर्वाचक विधियों के
 रूप में किया जाए।